

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलुम्बर

पार्थी ..... श्री मेधा .....

बनाम

विपक्षी ..... श्री गोविन्दा .....

रजस मुकदमा ..... प्रा.प. ....

प्रकरण संख्या ..... 25/2024 .....

कार्यवाही विवरण

01/09/25

प्रा.प. पेश हुई। वकील पार्थी उप.। वकल हेतु अवसर चाख। न्यायद्वित में अवसर दिया जाता है। मि. वाल्ते वकल के दिनांक:- 08/10/25 को पेश हो।

08/10/25

प्रा.प. पेश हुई। वकील पार्थी उप.। उक्तरण के सूत्रवाद उक्तरण सं. 22/2024 रा.वा. डिक्री हो जाने से उक्त पार्थी-प्रा.प. चलाये जाने की आवश्यकता नहीं है। अतः उक्त पार्थी-प्रा.प. में कार्यवाही रूपा की जाती है।

प्रा.प. की फंसल कुमार होकर दाखिल दफतर हो। भादवा शुके न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर सलुम्बर  
जिला सलुम्बर